न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 08/2018

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1 चम्पालाल पुत्र पुसाराम		1 कैलाश पुत्र राजुराम जाति डाकोत
2 हरीराम पुत्र पुसाराम जातिगण सैन निवासीगण सेवरिया तहसील जैतारण जिला पाली		2 संतोष पत्नी शिवराम जाति जाट 3 सोहनदेवी पत्नी देवाराम जाति जाट निवासीगण सेवरिया तहसील जैतारण 4 उप पंजीयन अधिकारी जैतारण 5 तहसीलदार जैतारण 6 पटवारी हल्का सेवरिया तहसील जैतारण जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री मांगीलाल प्रजापत, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 अनुपस्थित।
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 5 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 12/4/18

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत न्यायालय सहायक कलेक्टर जैतारण द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 44/2015 में पारित निर्णय दिनांक 17.01.2018 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहे। अतः रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के विरूद्ध इस प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता है। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि ग्राम सेवरिया के खसरा नम्बर 127 की भूमि अपीलाण्ट की कब्जा काश्तसुदा आई हुई स्थित है, जिस पर सम्वत् 2010 से पूर्व से अपीलाण्ट का कब्जा काश्त है। इसके बावजूद सेटलमेन्ट अधिकारीयों ने अपीलाण्ट के पिता का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज न कर विधि विरूद्ध रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता राजुराम पुत्र चुन्नीलाल के नाम उक्त भूमि दर्ज कर दी। इसका नाजायज लाभ प्राप्त करने की नियत से राजस्व रेकर्ड में विधि विरूद्ध रूप से

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अपना नाम दर्ज होने का नाजायज लाभ प्राप्त करने की नियत से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि दिनांक 25.02.2015 को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के पक्ष में जरिये रजिस्ट्री बेचान कर दिया, जबकि न तो बेचानकर्ता का मौके पर कब्जा है तथा न ही खरीददार को कब्जा सुपुर्द किया गया है। इस कारण अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खातेदारी घोषणा का वाद प्रस्तुत किया तथा वाद के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के पक्ष में दिनांक 24.04.2015 को स्थगन आदेश भी पारित किया। इसके पश्चात रेस्पोडेन्ट के जवाब आदि प्रस्तुत होने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये अपीलाण्ट्स का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। उक्त आदेश की आड में रेस्पोडेन्ट्स उक्त भूमि से अपीलाण्ट को बेदखल करना चाहते है तथा मौके पर विवाद करने पर आमादा है। यदि रेस्पोडेन्ट अपने मकसद में कामयाब हो जाते है, तो अपीलाण्ट को अपूर्णीय क्षति कारित होगी, जिसका मूल्यांकन कदापि रूपयों में नहीं आंका जा सकेगा। अतः अपील स्वीकार करावें एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.01.2018 को अपास्त करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जैर अपील वादस्थ भूमि पर अपना कब्जा काश्त होने के कारण अपने नाम खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा तथा दौराने वाद वादस्थ भूमि के राजस्व रेकर्ड एवं मौके की स्थिति में परिवर्तन नहीं करने हेतु रेस्पोडेन्ट्स को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश में तथ्यों का जो विवेचन किया है, वह रेकर्ड के अनुरूप है। जिसके अनुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता राजुराम के नाम उक्त भूमि दर्ज चली आ रही थी, जो कालान्तर में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज हुई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के नाम बेचान की गई है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 बोनाफाईड पर्चेजर है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के मूल सिद्धान्त यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपरिमित क्षति को सिद्ध करने हेतु अपीलाण्ट द्वारा ऐसा कोई ठोस प्रमाण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया, जो उनके प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को साबित करने में सहायता करता हो। हालांकि जैर अपील वादस्थ भूमि में अपीलाण्ट का हक हिस्सा निहित है अथवा नही ? तथा है तो किस रूप में ? इन समस्त तथ्यों का निर्णय मूल वाद में तनकीयात कायम होकर उन पर संग्रहित साक्ष्यों के आधार पर तनकीयात विनिश्चित होने पर संभव होगा, किन्तु रेस्पोडेन्ट प्रकरण में रेकर्डेड खातेदार है तथा एक रेकर्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा न्यायालय सहायक कलेक्टर जैतारण द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 44/2015 में पारित निर्णय दिनांक 17.01.2018 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 12/4/18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली